

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश सखनऊ।

संख्या:- प्राविप/परिषद सम्बद्धता/2022/7817

सखनऊ: दिनांक: 30/08/2022

:-कार्यालय आप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उद्योग सखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 10/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संघासित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मसौ पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उद्योग सखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1684-M.I.T INSTITUTE OF TECHNOLOGY

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की सभी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट-1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली-1992, विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु ₹0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उद्योग, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उद्योग तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उद्योग द्वारा बनाये गये निर्णयों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।

M.I.T. Institute of Technology
Pohali, Sardham Road,
Meerut (U.P.) 203001

आर्जीलय,

राष्ट्रीय प्रविष्टि विद्या परिषद,

इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश

संख्या:- प्राविष्टिपरिषद सम्बद्धता/2021/1557

सम्बद्धता दिनांक:- 09/08/2021

आर्जीलय, उत्तर:-

आर्जीलय भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली-फर्स्टली काउन्सिल ऑफ इन्फ्रिक्टा, नई दिल्ली द्वारा सैद्धिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के अंतर्गत प्रविष्टि विद्या परिषद, उत्तर प्रदेश से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 09/08/2021 को परिषद आर्जीलय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अर्जित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्ण से संघटित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देकर सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किया जाने का निर्णय किया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में जिसे नये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविष्टि विद्या परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान किया एवं उचित अर्जित प्रोद्योगिकी हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाते है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1684-M.I.T INSTITUTE OF TECHNOLOGY, POHALLI,
SARDHANA ROAD, MERRUT

कोड

संस्था का नाम

संस्था का नाम

संस्था का नाम

सत्र 2021-22 हेतु

अनुमोदन प्रदान

किया

परिषद द्वारा

सत्र 2021-22

हेतु अनुमोदन

प्रदान किया

परिषद
M.I.T. Institute of Technology
Pohalli, Sardhana Road,
Meerut (U.P.)

क्र.सं.

पाठ्यक्रम का नाम

ए0आई0सी0टी0ई0/
पी0सी0आई0 द्वारा
सत्र 2021-22 हेतु
अनुमोदित प्रवेश
क्षमता

परिषद द्वारा
सत्र 2021-22
हेतु अनुमोदित
प्रवेश क्षमता

1 DIPLOMA IN PHARMACY

60

60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमकारी 1992, सेमेस्टर विनियमकारी-2018 तथा अन्य लिखित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क (सी वपीय इंजीन. पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, टी वपीय पत्रांगण पाठ्यक्रम हेतु रु०-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा टी वपीय पाठ्यक्रमों (टी वपीय पत्रांगण पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही वार्षिक छात्रवृत्ति से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्रवृत्तियों से शुल्क के सम्बन्ध में स्वतन्त्र-स्वतन्त्र पर वास्तव द्वारा निर्गत किये जाने वाले शहनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार सर्वेकारी किया जाना आवश्यक होगा। शेष निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु प्रवेश का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो प्रवेश की अधिकतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को (अथवा प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमकारी-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संघर्ष में संशुद्ध प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की सर्वेकारी की जायेगी।
- ✓ संस्था को स्वतन्त्र-स्वतन्त्र पर निर्गत शहनादेश के अनुसार निर्देशानुसार एवं सम्बद्धतः शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदित प्रवेश किया

Principal

M.T. Institute of Technology
Phase-2, Ghazipur, Delhi
(110002)

